उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-71/2022/I/182637/2022-71-2002/36/2019

लखनऊः दिनांक 27 जून, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम-1994 (यथा संशोधित 1995 , 2011) में विहित प्राविधानों तथा मानव अंग और उतक प्रतिरोपण नियम-2014 की धारा 13 के अनुसार प्रदेश में मानव अंग एवं उतक प्रत्यारोपण हेतु दानकर्ता (Doner) एवं प्राप्तकर्ता (Recipient) द्वारा किये जाने वाले आवेदनों पर जिला प्राधिकार समिति द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्ध अपील का निस्तारण करने हेतु पूर्व में निर्गत एतद्संबंधी आदेशों को अवक्रमित करते हुये शासन स्तर पर राज्य प्राधिकार समिति का गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क)	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन	**अध्यक्ष**
(ख)	महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ	**सदस्य**
(ग)	निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा नेफ्रोलाजी एवं गैस्ट्रोसर्जरी की विशिष्टता में नामित एक-एक आचार्य	**सदस्य**

2- उक्त समिति द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम-1994 (यथा संशोधित 1995 , 2011) में विहित प्राविधानों तथा मानव अंग और उतक प्रतिरोपण नियम-2014 में विहित प्राविधानों के अनुसार जिला प्राधिकार समिति एवं अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के विरूद्ध अपील का निस्तारण किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
9. प्रधानाचार्य समस्त राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
10. निदेशक/कुल सचिव समस्त चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।